न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1.निगरानी संख्या— 96 / 2009—10
श्रीमती गीता गोयल पत्नी स्व0 विरेन्द्र कुमार गोयल एवं अन्य

—बनाम—
श्रीमती पूनमा गोयल पत्नी स्व0 रामनारायण गोयल एवं अन्य

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री के0पी0 सिंह।

2.निगरानी संख्या— 113 / 2009—10
श्री विवेक गोयल आदि

—बनाम—
श्रीमती गीता गोयल आदि

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री ए0के0 वर्मा (अनुपस्थित)।
अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)।

बावत
मौजा मल्हान ग्रान्ट, परगना पछवादून
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानियाँ विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा धारा—229बी / 176 / 178 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में पारित आदेश दिनांक 08—12—2008 एवं 30—11—2007 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। प्रश्नगत वाद दिनांक 30—11—2007 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था। उक्त तिथि पर विद्वान सहायक कलेक्टर ने वाद पंजीकृत के आदेश अंकित किए एवं पक्षकारों को सम्मन भेजे जाने एवं सुनवाई की तिथि 10—01—2008 नियत करने के आदेश पारित किए। वादी पक्ष / उत्तरदातागण द्वारा वाद पत्र के साथ एक अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसके सम्बन्ध में विद्वान सहायक कलेक्टर ने उसी दिन निम्न आदेश पारित किएः—

"प्रार्थना पत्र पर वादी के अधिवक्ता को सुना। 'स्थाई' निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पर्याप्त आधार है। प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने, स्वरूप बदलने, विकय आदि से हस्तान्तरण करने से निषिद्व किया जाता है"।

दिनांक 05—12—2008 को मूल प्रतिवादी संख्या—1 के उत्तराधिकारी विवेक गोयल एवं पूनम गोयल की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है अतः खाता संख्या–81 फसली वर्ष 1414–1419 को स्थगन आदेश से मुक्त किया जाय। इस प्रार्थना पत्र के पहले पृष्ठ के पृष्ठ भाग पर पेशकार द्वारा निम्न आख्या अंकित की गई :–

" संबंधित विवादित भूमि पर दिनांक 30–11–2007 को निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अपने हिस्से की भूमि पर निषेधाज्ञा आदेश लागू किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त खसरा नम्बरान प्रार्थी के हिस्से की भूमि को निषेधाज्ञा से अवमुक्त करना उचित प्रतीत होता है। आख्या सेवा में प्रेषित है। संलग्न खतौनी संदर्भ–A एवं तदनुसार विद्वान सहायक कलेक्टर ने दिनांक 08–12–2008 को निम्न आदेश पारित किया गया :– प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली में जारी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 30–11–2007 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि को निषेधाज्ञा से अवमुक्त किया जाता है" जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

दोनों निगरानियों में समान पक्षकार एवं समान प्रकृति का होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णयादेश से किया जा रहा है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेखों का भली–भाँति अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द्र शर्मा ने आक्षेपित आदेश के पारण में की गयी पेशकार की संस्तुति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए की गयी अवैधानिकता का तर्क रखा है। वे इस तथ्य से भी सहमत हैं कि वाद प्रस्तुतीकरण के समय पारित स्थायी(अस्थाई) निषेधाज्ञा के पारण हेतु प्रथमदृष्टया आधार विद्यमान होने का तथ्यांकन ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता श्री के0पी0सिंह भी निगरानी स्तर के हस्तक्षेप में सहमति व्यक्त करते हैं एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित कर मूल वाद के शीघ्र निस्तारण पर बल देते हैं।

सामान्यतः अन्तर्वर्तीय व अन्तरिम प्रकार के आदेशों के विरूद्व अपील/निगरानी पोषणीय नहीं होती है परन्तु इस प्रकरण में निगरानी स्तर का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष कारणों से आवश्यक हो गया है क्योंकि विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने स्थगन आदेश/निषेधाज्ञा का संशोधन बिना प्रभावित पक्ष को सुने किया है एवं एक स्तब्ध करने वाला तथ्य यह भी है कि पेशकार ने इस हेतु लिखित में संस्तुति भी की है जो अभिलेख में उपलब्ध है। यह कृत्य किसी भी सुभिज्ञ व्यक्ति के न्यायिक अन्तःकरण (Judicial conscience) पर प्रहार करता है। तदनुसार आक्षेपित आदेश पारित करने में प्रत्यक्ष अवैधानिकता (patent illegality) की गई है। प्रश्नगत आदेश न तो सम्बन्धित पक्षों को सुनकर पारित किया गया है न ही सकारण एवं सुव्यक्त (reasoned and speaking) है अतः स्थित रहने योग्य नहीं है।

वाद प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 30–11–2007 के अवलोकन से भी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी की न्यायिक क्षमता का रहस्योद्घाटन होता है। यह आदेश प्रथमदृष्टया आधार स्थापित होने के बिना ही पारित किया गया है। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा 'स्थाई' निषेधाज्ञा जारी की गई है जबकि प्रार्थना अन्तरिम निषेधाज्ञा की गई थी। यदि यह मान भी लिया जाय कि यह त्रुटि के कारण अस्थाई की जगह 'स्थाई' लिखा गया परन्तु 30–11–2007 के आदेश पत्र में भी स्थाई निषेधाज्ञा का उल्लेख किया गया है।

स्थाई निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुतीकरण के समय पारित किए जाने का कोई आधार था ही नहीं। प्रश्नगत आदेश को स्थाई निषेधाज्ञा मानते हुए भी इस हेतु प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार होने की स्थिति विद्यमान होने पर उसे वर्णित किया जाना चाहिए था क्योंकि इस आदेश से न केवल वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वरूप बदलने एवं विक्रय आदि से हस्तान्तरण करने में निषिद्व किया गया है अपितु इससे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से प्रतिवादीगणों को निषिद्व किया गया है जबकि प्रस्तुत वाद धारा–229बी एवं 176/178 के अन्तर्गत योजित किया गया था। धारा–176/178 के अन्तर्गत विभाजन की प्रार्थना किए जाने का आशय यह हुआ कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त स्वामित्व की है। तद्नुसार वाद प्रस्तुतीकरण के स्तर पर ही प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से बहिष्कृत कर दिये जाने की स्थिति बनी है। तद्नुसार ''स्थाई''/अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 30–11–2007 भी अनियमित है एवं न्यायसम्मत नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार आक्षेपित आदेश दिनांक 08–12–2008 में प्रत्यक्ष अवैधानिकता (patent illegality) अन्तर्निहित होने एवं ऐसे आदेश की अनदेखी न हो सकने के आधार पर उसे खण्डित किया जाना न्यायसंगत है। इसी कम में वाद प्रस्तुतीकरण के समय पारित ''स्थाई''/अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 30–11–2007 के सम्बन्ध में भी उपरिवर्णित कारणों से यह न्यायालय उसे खण्डनीय मानता है।

आदेश

दोनों निगरानियाँ तद्नुसार स्वीकार कर आदेश दिनांक 08–12–2008 एवं ''स्थाई''/अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 30–11–2007 खण्डित किये जाते हैं एवं प्रकरण परीक्षण न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनने का यथोचित अवसर प्रदान कर विधिवत आदेश पारित करने एवं वाद की कार्यवाही यथाशक्य शीघ्रता से विधिवत सम्पन्न कर निस्तारणार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है। विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तरिम/स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित होने तक पक्षकार यथास्थिति बनाए रखेंगे। इस आदेश की एक प्रति कार्मिक विभाग/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं कलेक्टर, देहरादून को इस आशय से भेजी जाय कि कदाचित तत्कालीन विद्वान सहायक कलेक्टर की न्यायिक क्षमता का आंकलन किया जाय एवं उचित समझा जाय तो उनको न्यायिक कार्यों हेतु प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया जाय। कलेक्टर, देहरादून सम्बन्धित

अधिकारी का नाम (अधिसंख्य पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय/आदेशों में स्वहस्ताक्षर के नीचे अपने नाम का अंकन करना बंद कर दिया गया है) ज्ञात कर शासन को उसकी पृष्ठ भूमि के बारे में भी अवगत करायेंगे। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को कलेक्टर, देहरादून के माध्यम से उपलब्ध कराई जाय एवं कलेक्टर, देहरादून प्राप्ति से इस न्यायालय को सूचित करेंगे।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 1/5/2014 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।